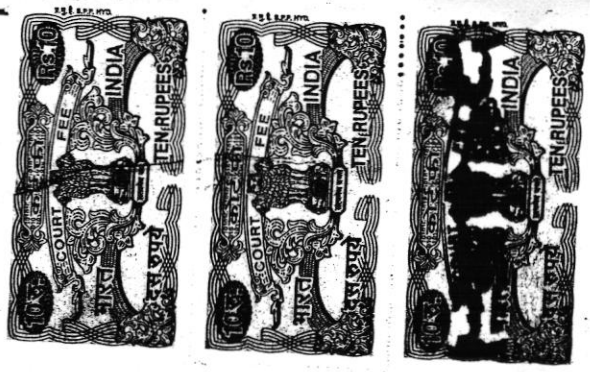

(39)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2017 निगरानी

I/निगरानी/छतरपुर/भू०रा०/2017/1622

अभिषेक कुमार निगम पुत्र श्री जीतेन्द्र कुमार निगम निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)

.... **आवेदक**

वेरुद्ध

1. रामसखा द्विवेदी पुत्र श्री बिहारीलाल द्विवेदी निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
2. लक्ष्मी प्रसाद शर्मा पुत्र श्री अयोध्या प्रसाद शर्मा निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर (म.प्र.)
3. अन्नू पुत्र श्री रामदास शर्मा निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर(म.प्र.)
4. श्रवण कुमार पुत्र श्री रामदास शर्मा निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर(म.प्र.)
5. रामलाल पुत्र मोहनलाल निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर(म.प्र.)
6. गुड्डन वेवा घनश्याम शर्मा श्री रामदास शर्मा निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर(म.प्र.)
7. महेश कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद शर्मा श्री रामदास शर्मा निवासी कंठी मुहाल, लवकुश नगर, जिला छतरपुर(म.प्र.)

दिनांक 5-6-17 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभि० द्वारा प्रस्तुत।
5-6-17
SD

.... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार महोदय लवकुश नगर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 08/अ13/2014–15 में पारित पत्रिका/आदेश दिनांक 09.02.2017

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निग./छतरपुर/भू.रा./2017/~~622~~ 1622 **जिला** छतरपुर अभिषेक **विरूद्ध** रामसखा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31 -08-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. दिनांक 13-08-2018 को आवेदक के अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव को ग्राह्यता पर सुना गया । 3. उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । निगरानी मेमो एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लवकुश नगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ13/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 09-02-2017 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । 4. अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार लवकुश नगर द्वारा दिनांक 09-02-2017 को प्रकरण आदेश हेतु सुरक्षित किया गया था उसमें न तो कोई अंतरिम आदेश पारित किया गया और न ही अंतिम आदेश पारित किया गया । चूंकि आदेश की प्रकृति न तो अंतरिम आदेश और न ही अंतिम आदेश की है जिसके कारण यह निगरानी अर्थहीन हो जाती है । अतः निगरानी के अर्थहीन होने से यह निगरानी प्रथमदृष्टया अग्राह्य की जाती है । सदस्य 31.8.17	